उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः 403 /VII-2-18/41-M.S.M.E./2016
देहरादून, दिनॉकः 22 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा देश में स्टार्ट–अप्स के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से स्टार्ट–अप इण्डिया पहल की घोषणा की गयी है। स्टार्ट–अप की पहचान, मान्यता आदि के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग, औद्योगिक नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्याः–113, दिनांक 17.02.2016 निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में इन्क्यूबेशन (Incubation) एवं स्टार्ट–अप क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिये जाने तथा राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षित छात्रों को एक उद्यमी के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से शासन के सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्याः–955/VII-2-17/41–एम0एस0एम0ई0/2016 दिनांक 29.06.2017 द्वारा लागू उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2017 को पूर्णतः प्रतिस्थापित करते हुए **"उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2018"** प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

"उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2018"

1. दृष्टि

उत्तराखण्ड में उद्यमशीलता की भावना को पोषित कर एक पारिस्थितिकीय तंत्र को बढ़ावा देकर राज्य को देश में स्टार्ट–अप के लिए सबसे उपयुक्त राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित करना है।

2. उद्देश्य

नीति का उद्देश्य निम्नलिखित को प्राप्त करना है–

1 उत्तराखण्ड में कम से कम 500 नए स्टार्ट–अप का विकास एवं पोषण।
2 इच्छुक एवं वर्तमान उद्यमियों के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करना।
3 उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देकर वर्तमान नौकरी खोजने वाले रूझान से नौकरी देने वाले रूझान को बढ़ावा देना।

3. परिभाषा

3.1 उपक्रम (एन्टिटि)

एक कम्पनी (कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार), एक पंजीकृत साझेदारी फर्म (पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के तहत) या सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत)।

3.2 स्टार्ट–अप

उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप नीति के अंतर्गत एक इकाई को "स्टार्ट–अप" माना जाएगा, यदि वह नीचे दी गई चार शर्तो को पूरा करेगी या यदि इकाई स्टार्ट–अप इंडिया की पहल के तहत मान्यता प्राप्त है और नीचे चौथी शर्त को पूरा करती है:–

(1) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष तक; यथापि, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्ट–अप के मामले में, यह अवधि उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष तक होगी; और

(2) निगमीकरण/पंजीकरण के बाद से यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार रू0 25 करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो; और

(3) पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनायी गयी किसी संस्था (एन्टिटि) को 'स्टार्ट–अप' नहीं माना जाएगा।

(4) उत्तराखण्ड में इसे निगमित/पंजीकृत किया गया हो अथवा कुल अर्ह कर्मचारियों की कम से कम 50 प्रतिशत संख्या उत्तराखण्ड से हो, जिसमें अनुबंध कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त क्रमांक सं0 1 से 3 में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले परिवर्तन/परिवर्द्धन उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू माने जायेंगे।

3.3 इनक्यूबेटर

इनक्यूबेटर व्यावसायिक सहायता संसाधनों और सेवाओं जैसे– भौतिक स्थान, पूंजी, प्रशिक्षण और सलाह, कॉर्पोरेट और कानूनी सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं और नेटवर्किंग अवसर प्रदान कर मापनीय व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सहायता के लिए प्रारंभिक चरणों के दौरान स्टार्ट–अप कम्पनियों का सहयोग करने वाला एक संगठन है।

केन्द्र या राज्य सरकार से वित्त पोषित या पंजीकृत इनक्यूबेशन को इस नीति के अंतर्गत इनक्यूबेटर माना जायेगा। उदाहरण के लिए नीति आयोग के तहत अटल इंक्यूबेशन सेंटर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी.बी.आई.)।

1 इनक्यूबेटर को निम्न श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए:–

(क) सोसायटी (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के तहत)
(ख) धारा–8 कम्पनी (कम्पनी अधिनियम–2013 के तहत)
(ग) कम्पनी (कम्पनी अधिनियम–2013 के तहत)
(घ) सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम–2008 के तहत)
(ड) लोक चैरिटेबल ट्रस्ट (भारतीय ट्रस्ट अधिनियम–1882 के तहत)

2 इनक्यूबेटर को इंक्यूबेटीस के साथ क्रियाशील स्थिति में कम से कम 3 माह तक प्रत्यक्ष अथवा वर्चुअल रूप से सहायता करनी चाहिए।

3.4 एंजल इंवेस्टर

एंजल इंवेस्टर आम तौर पर समृद्ध या उच्च निवल मूल्य के व्यक्ति हैं जो स्टार्ट–अप अथवा उद्यमियों को शुरूआती या प्रारम्भिक वित्त पोषण प्रदान करते हैं। एंजल इंवेस्टर प्रतिफल के रूप में कम्पनी में इक्विटी हिस्सेदारी या परिवर्तनीय ऋण के रूप में स्वामित्व प्राप्त करते हैं।

3.5 एंजल नेटवर्क

एंजल नेटवर्क, एंजल इंवेस्टर का एक समूह है जो साथ–साथ निवेश करते हैं, पेशेवर रूप से प्रारंभिक चरण के व्यवसाय के लिए फंड को प्रबंधित करते है। एंजल समूह, सदस्यों के साथ संसाधनों और ज्ञान को साझा कर के उभरते हुए बाजारों में एकल निवेश के जोखिमों को कम कर सकते हैं।

3.6 नवोन्मेष

किसी विचार या आविष्कार को एक वस्तु या सेवा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जो मूल्य पैदा करती है, जिसके लिए ग्राहक भुगतान करेंगे। नवोन्मेष में संसाधनों से अधिक से अधिक या भिन्न मूल्यों को प्राप्त करने में जानकारी, कल्पना और पहल के आवेदन शामिल हैं।

3.7 विश्वविद्यालय

केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय, अथवा ऐसी कोई भी संस्था जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो।

3.8 स्टार्ट–अप काउंसिल

स्टार्ट–अप काउंसिल एक संस्था है जिसे उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप पहल पर नजर रखने और कार्यान्वित करने के लिए सरकारी और निजी पृष्ठभूमि से चयनित सदस्यों को सम्मिलित कर गठित किया जायेगा। **काउंसिल का गठन विभाग द्वारा अलग से किया जायेगा।**

3.9 टास्क फोर्स

आयुक्त उद्योग की अध्यक्षता में, उद्योग निदेशालय स्तर पर एक टास्क फोर्स गठित की जायेगी, जो स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त Startups/Incubators को नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों (रू0 10.00 लाख/प्रति लाभार्थी तक) को प्रदान करने हेतु अधिकृत होगी।

3.10 नोडल एजेंसी

सभी श्रेणी के स्टार्ट–अप को प्रमाणित करने के लिए स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन।

4. नीति अवधि

उत्तराखण्ड की स्टार्ट–अप पॉलिसी अधिसूचना जारी होने की तिथि से 07 वर्षों तक अथवा अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

5. फोकस क्षेत्र

पॉलिसी के लिए प्राथमिक फोकस सेक्टर निम्नलिखित हैं–

1. यात्रा और पर्यटन
2. खाद्य प्रसंस्करण और कृषि (उद्यान सहित)
3. आयुष
4. शिक्षा
5. स्वास्थ्य क्षेत्र (Healthcare)
6. जैव प्रौद्योगिकी
7. फार्मास्युटिकल्स

उक्त सूची के अतिरिक्त समय–समय पर अन्य क्षेत्र, जो कि राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, भी योजना के अधीन पात्र होंगे।

6. लाभ/प्रोत्साहन

6.1 स्टार्ट–अप

स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा "स्टार्ट–अप" के रूप में मान्यता प्राप्त ईकाई निम्नलिखित लाभ/प्रोत्साहनों के लिए योग्य होगी–

6.1.1 मासिक भत्ता

स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा चुने गए सामान्य श्रेणी के स्टार्ट–अप को रू0 10,000 तथा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट–अप व्यवसाय स्थापित करने पर मासिक भत्ता रू0 15,000 देय होगा, जो अधिकतम एक वर्ष तक दिया जायेगा।

6.1.2 विपणन सहायता

मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप द्वारा नवाचारी उत्पाद के विपणन/प्रचार प्रसार पर रू0 5.00 लाख तक की विपणन सहायता स्टार्ट–अप काउंसिल के अनुमोदन के पश्चात् देय होगी।

नीति के अंतर्गत फोकस क्षेत्रों में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत

श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट–अप व्यवसाय स्थापित करने पर विपणन सहायता रू0 7.5 लाख तक देय होगी। यह सहायता स्टार्ट–अप को एक बार देय होगी।

6.1.3 प्रतिपूर्ति/छूट

पेटेंट (बौद्धिक संपदा)

1 स्टार्ट–अप पेटेंट शुल्क (फाइलिंग शुल्क, अटॉर्नी शुल्क, अन्वेषण शुल्क, रखरखाव शुल्क सहित) की वास्तविक लागत की 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति के लिए अर्ह होंगे, यह प्रतिपूर्ति भारतीय पेटेंट की दशा में रू0 1 लाख तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट की दशा में रू0 5 लाख तक देय होगी यह प्रतिपूर्ति 75 प्रतिशत आवेदन दाखिल करते समय तथा 25 प्रतिशत अभियोजन के समय देय होगी।

स्टाम्प शुल्क

स्टार्ट–अप परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को लीज डीड/स्थान/भूमि क्रय करने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत श्रेणियों के अनुसार स्टाम्प शुल्क में छूट देय होगी।

राज्य माल एवं सेवा कर

स्टार्ट–अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को उत्तराखण्ड राज्य की संबंधित फर्म/इकाई द्वारा प्रदेश के भीतर उपभोक्ता (बी0 टू0 सी0) को माल की आपूर्ति पर अनुमन्य आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात् जमा किये गये एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति बजट के माध्यम से की जायेगी।

6.1.4 अवसंरचनात्मक सहयोग

इनक्यूबेटर तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों की सूची उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप पोर्टल पर उपलब्ध होगी जिसे "रियल टाईम बेसिस" पर अद्यतन किया जाएगा।

इन्क्यूबेशन स्पेस

स्टार्ट–अप परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग स्टार्ट–अप को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर की अधिसूचित दरों से 25 प्रतिशत कम दर पर इनक्यूबेटर में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

6.1.5 आवश्यकता आधारित सहायता

नए उत्पाद के विकास/वर्तमान उत्पाद में सुधार के लिए नवोन्मेष हेतु आवश्यक कच्चा माल/घटक तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों के लिए स्टार्ट–अप परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को रू0 5 लाख तक की आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाएगी।

यह सहायता कच्चा माल/उपकरण की नवोन्मेष के लिए आवश्यकता होने पर ही देय होगी तथा स्टार्ट–अप परिषद के अनुमोदन पर निर्भर करेगी।

6.2 इन्क्यूबेटर्स

स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा "इन्क्यूबेटर" के रूप में मान्यता प्राप्त ईकाई निम्नलिखित लाभ/प्रोत्साहनों का लाभ लेने के लिए योग्य होंगी।

6.2.1 पूँजीगत सहायता

इन्क्यूबेटर्स को पूँजीगत लागत का पचास प्रतिशत अधिकतम रू0 1 करोड़ तक पूँजीगत सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता एक बार देय होगी तथा पूँजीगत लागत में भूमि तथा भवन की लागत की गणना नहीं की जाएगी। यह सहायता नए इन्क्यूबेटर स्थापित करने पर अथवा स्थापित इन्क्यूबेटर को क्षमता बढ़ाने के लिए दी जाएगी।

6.2.2 चालू खर्चे हेतु सहायता

स्टार्ट–अप परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटरों को 3 साल की अवधि के लिए संचालन और प्रबंधन खर्च के रूप में प्रतिवर्ष रू0 2 लाख तक की सहायता देय होगी।

7. फंडिंग

निवेश अवसरों तक पहुँच की सुविधा के लिए सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सुविधाजनक शर्तों (जैसे सम–पार्श्विक मुक्त ऋण, उदार शर्तों पर ऋण इत्यादि) पर शुरूआती उधार देने की अपनी वर्तमान योजनाओं को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

7.1 ऐंजेल नेटर्वक की स्थापना

स्टार्ट–अप के लिए सीड फण्ड उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार उच्च निबल मूल्य वाले व्यक्तियों, उद्योगपतियों, सफल उद्यमियों, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों तथा उच्च अनुभवी व्यवसायिक कार्यकारियों एवं पेशेवरों को ऐंजेल नेटर्वक (उत्तराखण्ड ऐंजेल्स) तथा "सामाजिक प्रभाव निवेशक समूह" स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

7.2 मैचिंग ग्रान्ट

राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स को, जो भारत सरकार के सीड फण्ड योजना का प्रबन्धन कर रहे हैं, को अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने के उददेश्य से भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के बराबर अथवा अधिकतम रू0 2 करोड़ जो भी कम हो, देय होगा।

7.3 अन्य सहयोग

भारत सरकार द्वारा स्टार्ट–अप को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधायें जैसे–निरीक्षणों से छूट, करों में छूट तथा स्वप्रमाणन आदि को राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

8. अकाद्मिक सहयोग

8.1 पाठ्यक्रम अद्यतन

स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने संबंधित पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने के लिए "उद्यमिता विकास" पर अनिवार्य पाठ्यक्रमों को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की सलाह दी जाएगी, ताकि उद्यमिता के प्रति प्रेरणा, क्षमता और झुकाव वाले छात्रों को प्रेरित किया जा सके।

8.2 पाठ्यक्रम में विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम का समावेश

उद्यमशीलता पर केंद्रित विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम को छात्रों द्वारा ऐच्छिक रूप में लिया जा सकता है और उनकी इच्छा के आधार पर उन्हें सौंपा जा सकता है।

8.3 ई.डी.सी. (उद्यमिता विकास सेल) नेटवर्क की स्थापना

महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को कॉलेज स्तर पर छात्रों को उद्यमिता लेने के लिए प्रोत्साहित करने तथा ई.डी.सी. स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यमिता विकास, सेल हब का एक हिस्सा होगें और आदर्श मॉडल की तरह संबंधित संस्थानों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाने में सहायता करेंगे। आई.आई.टी. रूड़की तथा आई.आई.एम. काशीपुर में दो फोकल एंटरप्रेन्योरेशिप प्रोडक्टिंग बॉडीज (ई.पी.बी.) की शुरूआत की जाएगी।

8.4 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

नवाचार और उद्यमिता शिक्षक युवाओं को आविष्कार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र से उद्योग के दिग्गजों, कॉर्पोरेट और अन्य नेताओं द्वारा स्थानीय संकाय को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाएगा।

8.5 परियोजना कार्य

अपने स्नातक स्तर के किसी भी वर्ष में स्टार्ट–अप विचारों पर काम करने वाले छात्र उद्यमी को अपनी आरंभिक परियोजना के रूप में अपनी शुरुआत की परियोजना को अपनी डिग्री पूर्ण करने के लिए परिवर्तित करने की अनुमति होगी।

9. अन्य पहल

9.1 मेन्टरशिप बूटकैम्प

सरकार आवश्यक रूप से स्कूलों और कॉलेजों में बूट शिविर स्थापित करके स्कूल और कॉलेज स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ये बूटकैम्प

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर, त्वरक, स्टार्ट–अप इवेंजीलिस्ट और उद्योग संघों के साथ साझेदारी में किये जाएंगे। इससे–

1. भाग लेने वाले छात्रों और उद्यमियों को आवश्यक सलाह मिलेगी।
2. वैश्विक सर्वोत्तम प्रयोगों की सूचना प्राप्त हो सकेगी।

9.2 आइडिया चैलेंज

उद्यमिता की भावना को विकसित/बढ़ाने के उददेश्य से राज्य के प्रत्येक मंडल में प्रत्येक छः माह में "आइडिया चैलेंज" आयोजित किया जायेगा। विजेता नवाचारी को, जिनकी संख्या अधिकतम 10 तक हो सकती है, रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार) का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

9.3 नवोन्मेषों का वार्षिक स्टार्ट–अप फेस्टिवल

उद्यमिता और नवाचार के लिए नवोन्मेषों का वार्षिक फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जिससे युवाओं को समस्या हल करने की मानसिकता और उद्यमिता को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे–

1. नवोन्मेषों के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा।
2. स्थानीय पारिस्थिकी तंत्र के हित धारकों के साथ बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।

10. सक्षमता

उत्तराखण्ड की स्टार्ट–अप नीति को सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार निम्न सुनिश्चित करेगी–

10.1 स्टार्ट–अप पोर्टल और मोबाइल ऐप

राज्य सरकार एक स्टार्ट–अप पोर्टल और ऐप विकसित करेगी, जिसमें नीति से संबंधित सभी सूचनाएँ, इसके लाभ और उन्हें लेने की प्रक्रिया की सूचनाएं उपलब्ध होंगी।

10.2 समर्पित हेल्पलाइन

सभी स्टार्ट–अप से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन अंग्रेजी और हिन्दी में सक्रिय की जाएगी। हेल्पलाइन व्यवसाय के पंजीकरण, धन/ऋण की उपलब्धता की जानकारी, नीति का स्पष्टीकरण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सभी प्रश्नों को संबोधित करने में सहायता करेगी।

10.3 प्रोत्साहन

राज्य सरकार उत्तराखण्ड को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के माध्यम से एक स्टार्ट–अप गंतव्य के रूप में बढ़ावा देगी, ऐसे आयोजनों में स्थानीय स्टार्ट–अप और अन्य विभिन्न माध्यमों की भागीदारी को प्रायोजित किया जाएगा।

10.4 समीक्षा तंत्र

टास्क फोर्स द्वारा इस नीति की समीक्षा एक वर्ष में एक बार अवश्य की जाएगी, ताकि नीति की उपयोगिता का आकलन, कार्यान्वयन में आसानी और परिणाम प्राप्त हो सकें। यह रिपोर्ट स्टार्ट–अप परिषद के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र संख्याः–196/XXVII(8)/2018 दिनांक 22 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 403 (1)/VII-2-18/41-M.S.M.E./2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव–श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
10. प्रतिनिधि, आई0आई0टी0, रूड़की/आई0आई0एम0, काशीपुर/जी0बी0 पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंत नगर/एन0आई0टी0, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से कि उक्त नीति का प्रकाशन आगामी गजट में करते हुए 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।